वैकल्पिक देखरेख पर एक श्रृंखला

पालन-पोषण
देखरेख

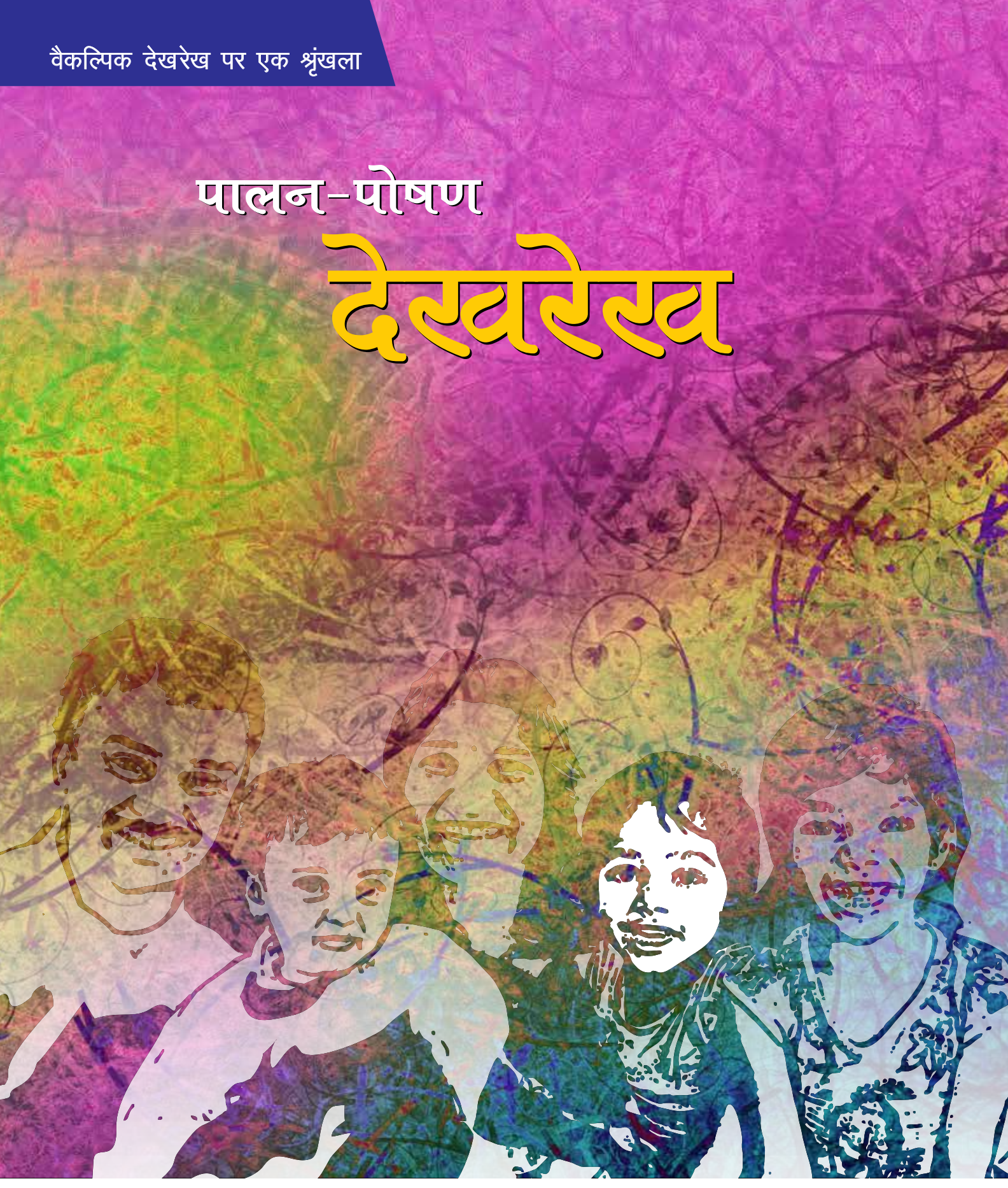

UDAYAN care

unicef
unite for children

प्रकाशन का वर्षः फरवरी 2017
कॉपीराइटः उदयन केयर
इस पुस्तिका के किसी भी भाग को उचित स्वीकृति के साथ स्वतंत्र रूप से पुनः प्रकाशित किया जा सकता है।

उदयन केयर
16/97–ए, विक्रम विहार, लाजपत नगर–4,
नई दिल्ली–110024
फोनः +91-11-46548105/06
ई–मेलः advocacy@udayancare.org
वेबसाइटः www.udayancare.org

वैकल्पिक देखरेख पर एक श्रृंखला

पालन-पोषण देखरेख

UDAYAN care

unicef
unite for children

विषय सूची

प्रस्तावना v

परिवर्णी और संक्षिप्त शब्द vi

1. सोच 01

2. कानूनी और नीति सम्बन्धी प्रपत्र 02

3. मौलिक सिद्धांत और प्रमुख पहलू 03

4. पालन–पोषण देखरेख में रखने की प्रक्रियाएं 07

5. निगारानी, समीक्षा और समाप्ति 10

6. निर्धारित प्रारूप, साधन और सामग्री 13

7. भारत और कुछ चुने हुए देशों में पालन–पोषण देखरेख 15

संन्दर्भ सूची 17

प्रस्तावना

2015 बच्चों के अधिकारों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण वर्ष था जब किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनिम, 2015 अधिनियमित हुआ। विश्व में भी यह वह वर्ष था जब संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने संधारणीय लक्ष्यों की प्राप्ति (एसडीजी) को अपना उद्देश्य बनाया ताकि विश्व में गरीबी का अंत हो और सभी को समृद्धि प्राप्त हो। इस विकास के साथ 2015 के बाद भारत में बच्चों की सुरक्षा को एक मजबूत अधिकार–आधारित हैसियत प्राप्त हुई है। इस परिप्रेक्ष्य में उदयन केयर इस बात के प्रति सजग है की बच्चों कि सम्पूर्ण सुरक्षा को लिया जाये तो घर से बाहर रह रहे बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है। वे बच्चे जिनको सुरक्षा की जरुरत है उनकी संख्या दिन–ओ–दिन बढ़ती रहती है और भारत में दत्तकग्रहण की परंपरा अभी भी बहुत कम है। अनुमान है कि 2020 तक यह संख्या 24 मिलियन हो जाएगी। इस प्रकार, भारत के सामने बहुत बड़ा कार्य है– इन बच्चों को सुरक्षा देने का और उन्हें वह सारे अवसर उपलब्ध कराने का ताकि वह अपनी पूरी काबलियत हासिल कर पाएं। एक तगड़ी वैकल्पिक देखरेख की प्रणाली की आवश्यकता है जो इन बच्चों को सुरक्षा दे और उन्हें समाज में दोबारा समन्वित करे और हम सब इसके लिए जवाबदेह होने चाहियें।

वैकल्पिक देखरेख की प्रणाली को तगड़ा बनाने के लिए कानूनों और प्रावधानों के बारे में जानकारी रखना जरूरी है, लेकिन, कई बार हम देखते हैं कि इन कानूनों और प्रावधानों के बारे में उन लोगों को पता नहीं होता जो इस क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं और इससे 'बच्चों के अधिकारों' की बात गौण बनकर रह जाती है। वैकल्पिक देखरेख भारत में अभी भी नया विषय है। यह देखते हुए उदयन केयर को लगा की इसके बारे में जानकारी, शिक्षा और संचार की सामग्री होना जरूरी है। यह प्रकाशन जिसका नाम है, ^odfYid n[kj[k* ij ,d J[kyk] जिसमें चार हस्त–पुस्तिकाएं हैं यानि, ^cky n[kj[k lLFkkuk e n[kHkky d ekud*] ^ikyu&ik"k.k n[kj[k] ^nÙkdxg.k* और ^fd'kkjkoLFkk d ik'pkrorh n[kj[k*] इस दिशा में एक प्रयास है। यह हस्त–पुस्तिकाएं भारत में सबसे नवीनतम कानूनी और नीति के ढांचे को आवरण करती हैं और इनमें बातों को सरल तरीके से समझाया गया है ताकि सभी सम्बंधित व्यक्ति उनका सन्दर्भ ले सकें।

इन हस्त–पुस्तिकाओं में कोई मुश्किल कानूनी बातें नहीं हैं। इनका उद्देश्य है कि इस क्षेत्र में काम कर रहे लोग इन चारों क्षेत्रों का 'दायरा' और उनके 'मुख्य तथ्य' समझ सकें। सभी पुस्तिकाओं को एक ही तरह से प्रस्तुत किया गया है, पहले मूल सोच पर प्रकाश डाला गया है, फिर कानूनी और नीति के प्रपत्रों के बारे में बात की गयी है उसके बाद भारत और कुछ अन्य देशों में अभ्यासों पर एक अध्याय है। प्रत्येक पुस्तिका में उन लोगों के लिए संदर्भ की सूची भी हैं जो इस मुद्दे पर और जानकारी लेना चाहते हों।

इन पुस्तिकाओं को देखरेख के अभ्यासकों, सरकारी कार्यालयों में काम कर रहे लोगों, बच्चों की जिला बाल सुंरक्षण इकाइयों, बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड, सामाजिक कार्यकर्ता, देखरेख करने वाले, कर्मचारीगण और संस्थाओं की प्रबंधन समितियों और साथ ही इस क्षेत्र में नए लोगों और स्वेछा से कार्य करने वालों के लिए लिखा गया है। लेकिन यह बात नोट करने लायक है कि यह पुस्तिकाएं कानून से ऊपर नहीं हैं और उसका स्थान नहीं ले सकतीं, कानून को आगे समझने की लिए, हमारा परामर्श है कि आप सम्बंधित नियम और कानून पढ़ें।

वैकल्पिक देखरेख पर यह प्रकाशन संभव नहीं हो पाता यदि यूनीसेफ का समर्थन नहीं मिला होता। उदयन केयर इस समर्थन की लिए उनका बहुत आभारी है।

हम विभिन्न विशेषज्ञों के निवेश के लिए अत्यंत आभारी हैं, जैसे, यूनीसेफ की तनिष्ठा दत्ता, स्वागत रहा जो सेंटर फॉर चाइल्ड एंड लॉ, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, बेंगलुरु से हैं, प्रमोदाय शाखा जो सहायक–निर्देश हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, दिल्ली सरकार से और इयान आनंद फोर्बेर प्रतत जो नेशनल प्रोग्राम डायरेक्टर हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन अल्टरनेटिव केयर ऑफ चिल्ड्रन, इंडिया।

कहने की जरुरत नहीं है कि उदयन केयर की सम्पूर्ण टीम की कड़ी मेहनत ने यह सुनिष्चित किया कि यह उद्योग पूर्ण रूप से सफल हुआ।

mn;u d;j

परिवर्णी और संक्षिप्त शब्द

एनपीसी	राष्ट्रीय बाल नीति (NPC)
जेजे एक्ट 2015	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (JJ Act 2015)
जेजे रूल्स 2016	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 (JJ Ruls 2016)
डीसीपीयू	जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU)
सीडब्ल्यूसी	बाल कल्याण समिति (CWC)
केरिंगस	बालदत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (CARINGS)
सीसीआई	बाल देखरेख संस्थाओं (CCI)
सीएसआर	बाल अध्ययन रिपोर्ट (CSR)
आईसीपी	व्यक्तिगत बाल देखरेख योजना (ICP)
आईसीपीएस	समेकित बाल विकास सेवाएँ (ICPS)
यूएनजीएसीसी	बच्चों की देखरेख के लिए संयुक्त राष्ट्र का वैकल्पिक दिशानिर्देश (UNGACC) 2009
एसएफसीएसी	स्पॉन्सरशिप और फोस्टर केयर अनुमोदन कमिटी (SACAC)
एचआईवी/एड्स	ह्यूमन इम्यूनो वायरस (HIV/AIDS)
टीबी	तपेदिक (TV)
एनजीओ	गैरसरकारी संगठन (NGO)
जीएफसी	समूह में देखरेख (GFC)
एचएसआर	गृह अध्यन रिपोर्ट (HSR)
एमजीएफसी	पालन–पोषण देखरेख के मॉडल दिशा निर्देश, 2016 (MGFC)
एसएए	विशेषीकृत दत्तकग्रहण अभिकरण (SAA)
एससीपीसी	राज्य बाल संरक्षण सोसायटी (SCPC)
एसएफसीसी	प्रयोजन और देखरेख केयर अनुमोदन समिति (SFCC)
यूएसए	संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)
यूएन	संयुक्त राष्ट्र (UN)

सोच

पालन–पोषण देखरेख एक प्रणाली है जिसमें संस्थागत देखरेख के बजाय पारिवारिक देखरेख की जाती है और बच्चा अपने जन्म देने वाले माता–पिता के आलावा एक दूसरे परिवार में पलता है। यह तब होता है जब बच्चे के पास जन्म देने वाला परिवार या ऐसा परिवार नहीं है जो उसकी देखरेख कर सके। जहाँ तक हो सके पालने वाले परिवारों की सामाजिक या सामुदायिक पहचान बच्चे को जन्म देने वाले माता–पिता जैसी होनी चाहिए।

पालन–पोषण देखरेख की प्रणाली उन **बच्चों के लिए है जिन्हे देखरेख और सुरक्षा** की जरुरत होती है। बच्चे की जरूरतों को देखते हुए, पालन–पोषण देखरेख अल्प या दीर्घ–अवधि की होनी चाहिए। जबकि अल्प–अवधि की देखरेख एक वर्ष से अधिक की नहीं होती, **दीर्घ अवधि** की पालन–पोषण देखरेख एक वर्ष से अधिक की होती है और समय–समय पर बढ़ाई जा सकती है जब तक बच्चा 18 वर्ष का न हो जाये[1]।

भारत की पालन–पोषण देखरेख में **दो प्रकार** हैं, यानि **निजी पालन–पोषण देखरेख** और **समूह में देखरेख**। पहली प्रणाली में एक बच्चा एक पालने वाले परिवार की देख–रेख में पलता है। जबकि सामूहिक देखरेख में परिवार जैसे माहौल में बच्चों की देखरेख होती है। इसमें बच्चों को सामुदायिक माहौल में निजी देखरेख प्रदान की जाती है[2]। यह सड़क के बच्चों के लिए उचित है, जिन्हें पहले इसके लिए तैयार किया जाता है[3], किशोर न्याय नियम 2016 के अनुसार ऐसी प्रणाली में **एक समूह में बच्चों की संख्या 8 से अधिक नहीं होनी चाहिए**, जिसमें पालन–पोषण देखरेख करने वाले माता–पिता के खुद के बच्चे भी शामिल हैं।

यह ध्यान में रखना जरूरी है कि पालन–पोषण देखरेख की प्रणाली परिवार या समुदाय–आधारित रवैय्ये के अनुसार है जो भारतीय कानून और नीति के दस्तावेजों में प्रतिष्ठापित है जिसमें शामिल है राष्ट्रीय बाल नीति 2013 (एनपीसी) और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे एक्ट 2015)। जैसा कि एनपीसी के अनुछेद 4.10 में उचित रूप से कहा गया है, (बच्चों के उन अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए जो स्थाई या अस्थायी रूप से अपने माता–पिता की देखरेख से वंचित हैं, राज्य पूरे प्रयत्न करेगा कि उसकी पारिवारिक और सामुदायिक देखरेख हो सके जिसमें शामिल है उसे प्रयोजन प्रदान करना, अपनापन दिखाना, पालन–पोषण देखरेख देना और दत्तकग्रहण, और अंत में बच्चे की भलाई को ध्यान में रखते हुए संस्थागत देखरेख में डालना और यह सुनिष्चित करना कि देखरेख और सुरक्षा का स्तर अच्छा हो)

सभी बच्चों को अधिकार होता है कि वह एक पारिवारिक माहौल में बड़े हों। जब तक कि स्तिथि बाध्य न कर दे और माता–पिता से अलग होना जरूरी न हो, किसी भी बच्चे को माता–पिता की देखरेख से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए. पालन–पोषण देखरेख की शक्ति इसमें है कि बच्चों को बेसहारा न छोड़ा जाये और पारिवारिक माहौल में उनकी पूरी देखरेख और सुरक्षा की जाये।

मुख्य बातः पालन–पोषण देखरेख की गैर–संस्थागत प्रणाली है जो बच्चों को परिवार या परिवार–जैसे माहौल में बढ़ने का अवसर देती है।

[1]किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016

[2]पालन–पोषण देखरेख के मॉडल दिशा निर्देश, 2016

[3]वीनिंग पीरियड, इस सन्दर्भ में वीनिंग का अर्थ है बच्चों को सड़क की जिन्दगी और खतरनाक व्यवहार से दूर ले जाना.

कानूनी और नीति सम्बन्धी प्रपत्र

भारत में पालन–पोषण देखरेख कुछ कानूनी और नीति के प्रपत्रों से शासित है। नीचे दिए गए तालिका में भारतीय कानूनी और नीति के प्रपत्रों का एक संक्षिप्त विवरण है, जो वर्तमान सन्दर्भ में उचित है।

कानूनी और नीति के प्रपत्र	संक्षिप्त वर्णन
पालन–पोषण देखरेख के मॉडल दिशा निर्देश, 2016	इस सम्पूर्ण दस्तावेज में अन्य बातों के आलावा उचित सोच और शब्दावली है, सिद्धांत, देखरेख करने वालों के दायित्व, बच्चों को पालन–पोषण देखरेख में रखने की प्रक्रियाएं, देख–रेख और समीक्षा, अधिकरण और एजेंसियां, बाल अध्ययन रिपोर्ट का प्ररूप, देखरेख करने वाले माता–पिता के लिए आवेदन प्ररूप, देखरेख करने वाले परिवार, बच्चों और जन्म–देने वाले परिवारों को सलाह, देखरेख के साधन और अन्य गतिविधियां।
किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016	नियम 23 पालन–पोषण देखरेख के विभिन्न पहलुओं से निपटता है जैसे जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू) और बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) की भूमिका, देखरेख करने वाले परिवारों द्वारा कौनसे नियमों का पालन होना है, सामूहिक देखरेख को चुनने के मापदंड, देखरेख करने वालों के दायित्व और प्रक्रियात्मक मुद्दे
किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015	जेजे अधिनियम 2015 पालन–पोषण देखरेख एक ऐसे उपाय के रूप में निर्दिष्ट करती है ताकि जिन बच्चों को विशेष देखरेख और सुरक्षा चाहिए उनका सामाजिक पुनर्वास और एकीकरण हो सके। अधिनियम की धारा 44 पालन–पोषण देखरेख के अलग अलग पहलुओं से निपटती है जिनमें शामिल है देखरेख करने वाले परिवार को चुनना, मासिक फंडिंग, देखरेख करने वाले परिवार के दायित्व और उनकी जांच।
समेकित बाल विकास सेवाएं (आईसीपीएस) 2014	आईसीपीएस का मानना है की पारिवारिक देखरेख बहुत जरूरी है, वह अन्य बातों के आलावा कोश के अनुमोदन की प्रक्रिया से निपटती है, प्रायोजन और देखरेख का कोश और प्रयोजन और देखरेख केयर अनुमोदन समिति।
राष्ट्रीय बाल नीति, 2013	यह परिवार और समुदाय–आधारित देखरेख को प्रमुखता देती है जिसके अंतर्गत पालन–पोषण देखरेख एक प्रकार का प्रबंध है।

चूंकि राज्य सरकार को नियम 23 (14) के तहत पालक परिवार या समूह पालक समायोजन के चयन की प्रक्रिया को सूचित करने की आवश्यकता है, देखरेख करने वाले स्वयं को ऐसी किसी अधिसूचना के साथ अद्यतन रख सकते हैं।

अंतरराष्ट्रीय कानूनी प्रपत्र भी हैं जो पालक देखरेख से निपटते हैं।

कुछ अंतराष्ट्रीय प्रपत्र भी हैं जो पालन–पोषण देखरेख से निपटते हैं

संयुक्त राष्ट्र घोषणा में सोशल एंड लीगल प्रिंसिपल्स रेलटिंग तो थे, प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन, विद स्पेशल रिफरेन्स टू फोस्टर प्लेसमेंट एंड एडॉप्शन नेशनली एंड इंटरनेशनली, 1986

यूंएन कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ थे चाइल्ड, 1989

बच्चों की देखरेख के लिए संयुक्त राष्ट्र का वैकल्पिक दिशानिर्देष (यूएनजीएसीसी) 2009

मुख्य बातेः पालन–पोषण देखरेख तगड़े राष्ट्रिय और अंतराष्ट्रीय कानूनी और नीति के प्रपत्रों पर आधारित है

मौलिक सिद्धांत और प्रमुख पहलू

ekfyd fl)kr

भारत में पालन–पोषण देखरेख की प्रणाली 5 मूल सिद्धांतों से शासित है:

- प्रत्येक बच्चे का हक कि वह एक परिवार या परिवार जैसे माहौल में रह सके
- इस बात को पहचानना कि बच्चे को पारिवारिक माहौल में रहने का अधिकार है, उसे उसके जन्म देने वाले माता–पिता से मिलवाना और एक योजनाबद्ध तरीके से उस परिवार को मजबूत बनाना
- जरुरत और औचित्य के सिद्धांत सभी निर्णयों का आधार होंगे ताकि बच्चे की सुरक्षा और बेहतरी हो (यानि उसकी मूल जरूरतों का पूरा होना, उसकी पहचान, सामाजिक रूप से अच्छा होना, भावनात्मक और दिमागी विकास सुनिष्चित करना)
- बच्चे के उस अधिकार का सम्मान कि उससे सलाह ली जाये
- भाई–बहन या जुड़वॉ बच्चों को जहॉ तक संभव हो एक ही परिवार में रखना

cPp dk ifjokj ;k lkefgd ikyu&ik"k.k n[kj[k e j[kuk

सीडब्ल्यूसी का निर्णय कि परिवार या सामूह बच्चे की देखरेख करने लायक है, इस बात पर निर्भर करता है कि:

- बच्चा किस स्तर के सदमे से गुजरा है
- उसे नशे की लत है या नहीं
- उसकी अक्षमता किस प्रकार की है और किस हद तक है
- बच्चे का सामाजिक आचरण कैसा है
- किसी विशेष देखरेख की जरुरत, अंतिम चरण की बीमारी, आदि
- बच्चे को संस्था से बाहर लाना
- बच्चे, मॉ बाप या अभिभावक की प्राथमिकता
- सुविधाओं का उपलब्ध होना और उनकी उचितता

ikyu&ik"k.k n[kj[k d ;kX; tk cPp g mudk J.khdj.k

पालन–पोषण देखरेख के मॉडल दिशा निर्देश, 2016 ने उन बच्चों की श्रेणियां बनायीं हैं जो इसके योग्य हैं, जैसा नीचे दिया गया है:

0–6 वर्ष की उम्र के बच्चे: जहाँ तक संभव होता है इन बच्चों को पालन–पोषण देखरेख के लिए **योग्य नहीं माना जाता** क्यूंकि इन्हें सीडब्ल्यूसी द्वारा गोद–दिया जा रहा होता है या ऐसा घोषित होता है।

बच्चे जिन्हे सीडब्ल्यूसी कानूनी रूप से गोद लिए जाने के लिए स्वतंत्र बताती है लेकिन फिर भी वह गोद नहीं लिए जाते.यह बच्चे नीचे दी गयी परिस्तिथियों में पालन–पोषण देखरेख के योग्य हैं:

- 6–8 वर्ष तक के बच्चे जिन्हें सीडब्ल्यूसी द्वारा घोषित किये जाने के 2 साल बाद भी गोद नहीं लिया गया हो
- 8–18 वर्ष के बच्चे जिन्हें सीडब्ल्यूसी द्वारा घोषित किये जाने के एक साल बाद भी गोद नहीं लिया गया हो
- बच्चे जिनकी विशेष जरूरतें होती हैं, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो, जिन्हें सीडब्ल्यूसी की घोषणा के एक साल बाद भी गोद नहीं लिया जाता.

ऊपर दिए गए सभी मामलों में, डीसीपीयू या दत्तकग्रहण की विशिष्ट अधिकरण की संस्तुति पर बच्चों को सीडब्ल्यूसी द्व ारा परिवार या सामूहिक पालन–पोषण देखरेख में डाला जाता है। विशेष जरूरतों वाले बच्चों के मामले में पालन–पोषण देखरेख के परिवार की क्षमता या सामूहिक देखरेख में उचित सुविधा का होना भी सीडब्ल्यूसी द्वारा जांचा जाता है।

जो बच्चे सीडब्ल्यूसी द्वारा कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित नहीं किये जाते: यह उस बच्चे के लिए है जो कम–से–कम 5 वर्षों तक पालन–पोषण देखरेख परिवार के साथ रह चुका है– दत्तकग्रहण से पहले की देखरेख में, यह पालन–पोषण देखरेख परिवार बच्चे के दत्तकग्रहण का आवेदन दे सकता है– एक अलग पन्ने पर पंजीकरण कराककर, जिसे बालदत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केरिंगस) द्वारा बनाया गया है।

कौन से बच्चे हैं जिन्हें संस्था से बाहर निकालकर सामूहिक पालन–पोषण देखरेख में रखा जा सकता है: इन बच्चों की श्रेणियां नीचे दी गयी हैं:

- 6–18 वर्ष के बच्चे जो सीसीआई में रह रहे हैं लेकिन जिन्हें कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित नहीं किया गया है.
- वह बच्चे जिनके माता–पिता बहुत बीमार हैं, और उन्होंने सीडब्ल्यूसी या डीसीपीयू को विनती की है कि उनके बच्चों की देखरेख की जाये
- डीसीपीयू द्वारा पहचाने हुए बच्चे जैसे:
  - जिनके माता–पिता अत्यधिक रूप से बीमार हैं और जो बच्चे की देखरेख नहीं कर सकते
  - जिनके माता या पिता या दोनों जेल में हैं
  - जो शारीरिक, मानसिक या यौन रूप से शोषित का शिकार हुए हैं, या प्राकृतिक या कृत्रिम आपदाओं के शिकार या घरेलु हिंसा के शिकार हैं, आदि

ikyu&ik"k.k n[kj[k e cPp d vf/kdkj

- बच्चे की बेहतरी के बारे में सोचना और जहाँ तक हो सके उसे निजी देखरेख में डालने से पहले उसके विचार जानना (यह सुनिष्चित करना सीडब्ल्यूसी या जिले और राज्य की परोपकारी अफसरों का काम है)
- उसके जन्म देने वाले माता–पिता के बारे में जानकारी तक पहुँच रखना
- उन सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी और पहुँच जिनसे बच्चे का विकास होता है

lkefgd ikyu&ik"k.k ;k lkefgd ikyu&ik"k.k n[kj[k dju okyk d vf/kdkj vkj nkf;Ro

पोषक परिवार में पालन माता–पिता के अधिकार

- उनकी सुनवाई होना और उनका सम्मान होना
- उनके सामाजिक स्तर के आधार पर कोई भेद–भाव नहीं

- निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार बच्चे का दत्तकग्रहण, उसे पालन–पोषण देखरेख में रखने के कम से कम 5 साल बाद तक, दत्तकग्रहण से पूर्व के समय से अलावा। 'जेजे नियम 44(v)'

lkefgd ikyu iks"k.k esa n[kjs[k djus okyks ds vf/kdkj

- उनकी सुनवाई हो और उन्हें सम्मान मिले
- उनके सामाजिक मूल के आधार पर भेदभाव ना होना
- उनका प्रशिक्षण हो और उन्हें परामर्श दी जाये
- नियुक्ति के नियमों और शर्तों के अधीन इस्तीफा देना और भविष्य निधि/निवृत्ति भत्ते मिलना

ikyu djus okys ifjokj ds cPps ds çfr nkf;Ro

- बच्चे को पर्याप्त खाना, कपड़े, रहने का स्थान और शिक्षा प्रदान करना
- बच्चे की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का समर्थन और इलाज करना
- सुनिष्चित करें कि बच्चे उम्र, विकास संबंधी जरूरतों और हितों के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करता है
- उच्च शिक्षा की जरूरतें पूरी करना
- उन्हें शोषण, दुर्व्यवहार, हानि, और गाली–गलौज से बचाना और हमेशा पता होना कि बच्चा कहाँ है
- बच्चे की निजता और उसके जन्म देने वाले माता पिता या अभिभावक को सम्मान देना और आपातकालीन स्तिथियों द्वारा उसका इलाज करना और उस बारे में सीडब्ल्यूसी और उसके जन्म देने वाले माता–पिता को जानकारी देना
- समय समय पर बच्चे की विकास की बात सीडब्ल्यूसी और उसे जन्म देने वाले माता पिता के साथ करना, और जब सीडब्ल्यूसी कहे तो बच्चे को उसके सामने पेश करना
- बच्चे और डीसीपीयू की अधिकारीगण की बीच सम्बन्ध को बढ़ावा देना
- सीडब्ल्यूसी के परामर्श की साथ बच्चे और उसे जन्म देने वाले माता पिता के साथ संपर्क बढ़ाना बच्चे की बेहतरी को देखते हुए

lkefgd ikyu iks"k.k esa n[kjs[k djus okyks ¼ikyokrk½ ds nkf;Ro

- बच्चे को पर्याप्त खाना, कपड़े, रहने का स्थान और शिक्षा प्रदान करना
- उपयुक्त सुबिधा में देखरेख के स्तर बनाये रखना
- समय समय पर बच्चे की विकास की बात सीडब्ल्यूसी और उसे जन्म देने वाले माता पिता के साथ करना, और जब सीडब्ल्यूसी कहे तो बच्चे को उसके सामने पेश करना
- बच्चे और डीसीपीयू के अधिकारीगण के बीच संपर्क को बढ़ावा देना
- सीडब्ल्यूसी के परामर्श के साथ बच्चे और उसे जन्म देने वाले माता पिता के साथ संपर्क बढ़ाना बच्चे की बेहतरी को देखते हुए
- संगीन मामलों के लिए सीडब्ल्यूसी का अनुमोदन डीसीपीयू के माध्यम से लेना, जैसे ऑपरेशन का होना या बच्चे को बेहोशी की दवाई देनी पड़ना
- यह सुनिष्चित करना कि हमेशा बच्चे के बारे में पता हो जिसमें शामिल है छुट्टी की योजना या बच्चे का भागना
- यदि बच्चे को चोट लग जाये, उसका शोषण हो या बच्चा अपराधी प्रवृत्ति दिख रहा हो या अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा हो तो मामले को डीसीपीयू को रिपोर्ट करना
- जीवन हुनर, व्यावसायिक प्रशिक्षण और उच्च शिक्षा के पहलों का समर्थन करना

ik"kd ifjokj dk p;uu d; ekunM

पोषक परिवार को चुनने के मापदंड हैं –परिवार की क्षमता, उसका मकसद, और बच्चों की देखरेख करने में उसका पूर्व अनुभव {जेजे अधिनियम 2015 की धारा 44(2)}

एक पोषक परिवार को चुनने के लिए डीसीपीयू नीचे दिए गए मापदंड अपनाएगीः

- दोनों पति– पत्नी भारतीय नागरिक होने चाहिए
- दोनों पति–पत्नी की इच्छा होनी चाहिए की वह उसी बच्चे की देखरेख करें
- दोनों पति पत्नी को पैंतीस वर्ष की उम्र से अधिक होना चाहिए और उनका शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए
- पोषक परिवार के सदस्यों को चिकित्सीय रूप से स्वस्थ होना चाहिए और उन्हें ह्यूमन इम्यूनो वायरस (एचआईवी/एड्स), तपेदिक (टीबी) और हेपेटाइटिस बी नहीं होना चाहिए (परिवार के सभी सदस्यों की चिकित्सीय रिपोर्ट ली जानी चाहिए)
- पोषक परिवार में पर्याप्त जगह और मूल सुविधाएँ होनी चाहिए
- पालन–पोषण देखरेख के नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे डॉक्टरों के पास जाना, बच्चे के स्वास्थ्य को बनाये रखना और विवरण रखना
- डीसीपीयू के पालन–पोषण देखरेख के कार्यक्रम में उपस्थित रहने की स्वेच्छा
- आपराधिक तौर पर अभियुक्त नहीं होना चाहिए
- मित्रों और पड़ोसियों के साथ समर्थन वाले सामुदायिक बंधन

lkefgd ikyu ik"k.k n;[kj[k p;uu d; ekinM

एक सामूहिक पालन–पोषण देखरेख लगाते समय, डीसीपीयू नीचे दिए गए मापदंडों को ध्यान में रखेगाः

- जेजे अधिनियम 2015 के अंतर्गत समूह का पंजीकरण
- सीडब्ल्यूसी द्वारा उसकी पहचान एक उपयुक्त सुविधा के जैसे सामूहिक पालन–पोषण देखरेख
- गैरसरकारी संगठन (एनजीओ) का नीति आयोग की वेबसाइट पर पंजीकरण
- बच्चे की सुरक्षा की नीति होना
- सुविधा में सभी देखरेख करने वालों की मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त करनी चाहियें जिनमें शामिल है एचआईवी/एड्स, टीबी की जांच
- देखरेख करने वालों को सजा–प्राप्त नहीं होना चाहिए
- बच्चों के लिए पर्याप्त जगह और उचित सुविधाएँ (अधिकतम 8) और पर्याप्त जगह ताकि निजता मिले क्यूंकि सुविधा में दोनों लिंग के बच्चे हो सकते हैं
- रसोई, अलग–अलग शौचालय और स्नान–गृह (4 बच्चों के लिए कम–से–कम 1 शौचालय)
- उपयुक्त सुविधा को संस्थागत समायोजन के बजाय घर का स्वरूप और अनुभव होना चाहिए
- सुविधा पड़ोस में होनी चाहिए ताकि स्थानीय लोगों से संपर्क बढ़े
- राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता के अनुसार देखरेख करने वालों की नियुक्ति
- देखरेख करने वालों को बच्चों से हमदर्दी होनी चाहिए
- प्रत्येक देखरेख करने वाले को सेवा से पूर्व प्रशिक्षण
- सुविधा के पास देखरेख करने वालों के लिए सेवानिवृत्ति की नीति होनी चाहिए

मुख्य बातें: मूल सिद्धांत और मुख्य पहलू जैसे पालन–पोषण देखरेख के मॉडल दिशा निर्देश 2016 में दिया गया है, पालन देखरेख के बच्चों की बेहतरी के लिए काम करते हैं।

पालन–पोषण देखरेख में रखने की प्रक्रियाएं

एक जिले में पालन–पोषण देखरेख लागू करने के लिए जो नोडल प्राधिकरण है वह डीसीपीयू है। जिले का सीडब्ल्यूसी बच्चे को पालन–पोषण देखरेख में रखने से सम्बंधित सभी मामले तय करता है। पालन–पोषण देखरेख में लम्बी–चौड़ी प्रक्रियाएं होती हैं जो यह एजेंसियां लागू करती हैं। अन्य अंश–धारकों के साथ नीचे दिए गए भागों में वह प्रक्रियाएं दी हैं, जिनके माध्यम से सीसीआई और समुदायों में रह रहे बच्चों को पालन–पोषण देखरेख में रखा जाता है और उससे सम्बंधित मुख्य पहलू।

cky n[kj[k lLFkkvk ¼lhlhvkbZ½ e jgu oky cPpk dk ikyu&ik"k.k n[kj[k e j[ku dh çfØ;k

देखरेख की व्यक्तिगत योजना बनाना: व्यक्तिगत बाल देखरेख योजना (आईसीपी) उस मामला कार्यकर्ता/सामाजिक कार्यकर्ता या प्रोबेशन अफसर द्वारा बनाया जाता है जिसकी नियुक्ति बच्चे के केस पर की जाती है–निर्धारित प्रारूप में (जेजे नियम 2016 की प्ररूप 7) आईसीपी की समय–समय पर समीक्षा की जाती है।

बाल अध्ययन रिपोर्ट (सीएसआर) की तैयारी: प्रत्येक बच्चा जिसे पालन–पोषण देखरेख में रखने की लिए चुना गया है उसकी एक विस्तृत बाल अध्ययन रिपोर्ट, जेजे नियम 2016 की प्ररूप 31 में बनाई जाती है।

बच्चे को पालन–पोषण देखरेख में रखने की संस्तुति: प्रतिपालक देखरेख के लिए सुझाव आईसीपी और सीएसआर को ध्यान में रखते हुए परोपकारी अफसर/सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा की जाती है। सीसीआई के व्यक्ति इन्चार्ज द्वारा चुने हुए बच्चों की सूची डीसीपीयू को आगे भेजी जाती है।

पालन–पोषण देखरेख करने वालों की पहचान: नीचे दिए गए तलिका में पोषक परिवारों और सुविधाओं के लिए अलग से कुछ पहचान की प्रक्रियाएं और अन्य सम्बंधित पहलू हैं।

पोषक परिवार	समूह पालन–पोषण देखरेख के लिए उपयुक्त सुविधा
पोषक परिवारों की पहचान: यह कार्य डीसीपीयू का होता है। इसमें शामिल है समय समय पर स्थानीय अखबारों में इश्तिहार देना, आवेदकों के नाम संक्षिप्त सूची में रखना –उन्हें चुनने के मापदंडों के अनुसार, उनके साक्षात्कारों के आधार पर और एक आंकलन रिपोर्ट की तैयारी करना। डीसीपीयू पालन–पोषण देखरेख द्वारा दिए गए समुदाय के दो सन्दर्भों की पुष्टि भी करती है। आंकलन की प्रक्रिया में अन्य बातों के आलावा परिवार की आर्थिक दशा भी जाँची जाती है ताकि पता चल सके कि वह बच्चों की जरूरतें पूरी कर पायेगी या नहीं। वित्तीय समर्थन एक समिति की संस्तुति पर दिया जा सकता है जिसे इस उद्देश्य से बनाया गया है।	**पोषक परिवारों की पहचान:** यह कार्य डीसीपीयू द्वारा किया जाता है। इसमें शामिल है स्थानीय अखबारों में इश्तिहार देना, आवेदकों के नाम संक्षिप्त सूची में रखना –उन्हें चुनने के मापदंडों के अनुसार, उनके साक्षात्कारों के आधार पर और एक आंकलन रिपोर्ट की तैयारी करना। संस्था के पद–धारकों से साक्षात्कार जो सुविधा की देख–रेख करते हैं।

Contd...

[4]पोषक परिवार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले मॉडल आवेदन प्ररूप को अनुलग्न क में दिया गया है– पालन–पोषण देखरेख के मॉडल दिशा निर्देश, 2016

पोषक परिवार	समूह पालन–पोषण देखरेख के लिए उपयुक्त सुविधा
डीसीपीयू प्रत्येक वर्ष भावी पोषक परिवारों की एक सूची बनाती है और उसे सीडब्ल्यूसी को आगे दिया जाता है, ताकि बच्चों को पालन–पोषण देखरेख में रखा जाये। डीसीपीयू बच्चे को पालन देख भाल में रखने की तैयारी शुरू करती है– पोषक माता–पिता और बच्चे के साथ एक मेल–मिलाप की प्रक्रिया शुरू करके, इस आधार पर एक **उपयुक्त रिपोर्ट तैयार** की जाती है और सीडब्ल्यूसी को प्रस्तुत की जाती है। **भावी पालन–पोषण देखरेख की गृह अध्ययन रिपोर्ट की तैयारी**– सीडब्ल्यूसी डीसीपीयू को कहती है कि वह –निर्धारित प्ररूप में (प्ररूप 30 जो जेजे नियमों में दिया गया है गृह अध्ययन रिपोर्ट बनाये। **बच्चे का पोषक परिवार से मेल करना**– डीसीपीयू यह संस्तुति करता है कि बच्चे को गृह अध्ययन रिपोर्ट, सीएसआर और मेल–जोल की रिपोर्ट के आधार पर रखा जाये। सीडब्ल्यूसी, डीसीपीयू की संस्तुति पर बच्चे को रखने की प्रक्रिया शुरू करता है।	पुष्टि की प्रक्रिया में शामिल है संस्था के पंजीकरण की जांच– जेजे अधिनियम 2015 के अंतर्गत, उसकी पहचान एक उचित सुविधा के रूप में, बाल संरक्षण नीति, देखरेख करने वालों की मेडिकल रिपोर्ट और पुलिस प्रमाणन, निति आयोग का पंजीकरण, एफसीआरए पंजीकरण और अन्य मापदंड जिन्हें पहले के अध्याय में नोट किया गया है। **बच्चे को सुविधा के देखरेख करने वालों से मैच करना** डीसीपीयू सुविधा को जांच करने के आधार पर संस्तुति करता है और बच्चे का देखरेख करने वालों के साथ आपस में क्या सम्बन्ध है।

सीडब्ल्यूसी द्वारा अंतिम आदेश से पहले की प्रक्रियाएं: पालन–पोषण देखरेख के मॉडल दिशा निर्देश 2016 पोषक परिवार और सामूहिक पालन–पोषण देखरेख के लिए अलग अलग प्रक्रियाएं निर्धारित करती है, जैसा तलिका में कहा गया है:

पोषक परिवार	सामूहिक पालन–पोषण देखरेख
सीडब्ल्यूसी शुरू में एक **अंतरिम आदेश** पारित करती है जो एक सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्तिथि में बच्चे और पलायन परिवार को सीमित मेल की अनुमति देता है –एक महीन से अधिक अवधि के लिए, इसमें शामिल है थोड़ी देर की मुलाकात जिसके बाद एक आउटिंग होती है और उसके बाद बच्चा परिवार के सदस्यों से मिलने पोषक परिवार के घर जाता है। अंतरिम आदेश पारित होने के बाद बच्चे की पोषक परिवार से सुसंगतता का आंकलन डीसीपीयू द्वारा किया जाता है और एक रिपोर्ट बनायीं जाती है कि पोषक परिवार को कितना वित्तीय समर्थन चाहिए और उसे 15 दिनों के अंदर सीडब्ल्यूसी को प्रस्तुत किया जाता है। जिन मामलों में वित्तीय समर्थन चाहिए होता है, कोई विकल्प की अनुपस्थित में डीसीपीयू अनुमोदन की प्रक्रियाएं शुरू करता है–मामलों को स्पॉन्सरशिप और फोस्टर केयर अनुमोदन कमिटी, (एसएफसीएसी) में देकर जिसे आईसीपीएस के अंतर्गत स्थापित किया गया है। यह प्रक्रिया 15 दिनों के अंदर पूरी हो जाती है और फिर अंतिम आदेश के लिए मामलों को वापस सीडब्ल्यूसी को संदर्भित किया जाता है।	देखरेख करने वाले भावी व्यक्तियों के साथ बच्चे का मेल करने के बाद, सीडब्ल्यूसी एक अंतरिम आदेश पारित करता है जो सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्तिथि में बच्चे और देखरेख करने वाले व्यक्ति के बीच सीमित मेल–जोल की अनुमति देता है। सीमित मेल–जोल में पहले तो एक छोटी सी मुलाकात होती है जिसके बाद बच्चे को सुविधा के अन्य बच्चों के साथ मिलवाने के लिए ले जाया जाता है।

सीडब्ल्यूसी द्वारा अंतिम आदेश का देना: सीडब्ल्यूसी अपना अंतिम आदेश पारित करती है– पालन–पोषण देखरेख परिवार या सामूहिक देखरेख में, सुसंगता की रिपोर्ट की समीक्षा के बाद और कार्य के लिए आदेश की एक प्रति डीसीपीयू को भेजती है। जबकि जिन मामलों में वित्तीय सहायता की आवश्यकता नहीं होती उनमें अंतिम आदेश साधारण तौर पर 60 दिनों के अंतर्गत पारित किया जाता है और जिन मामलों में वित्तीय सहायता चाहिए होती है उनमें 75 दिन लगते हैं।

पालन–पोषण देखरेख करने वालों द्वारा दायित्व: पालन–पोषण देखरेख करने वाला और सुविधा के सदस्य एक दायित्व पर हस्ताक्षर करते हैं –निर्धारित प्ररूप में (जेजे नियमों का प्ररूप 33)।

lenk; e jgu oky cPpk dk ikyu&ik"k.k n[kj[k e j[ku dh çfØ;k

योग्य बच्चों की पहचान: डीसीपीयू पालन–पोषण देखरेख कार्यक्रम के बारे में एक जागरूकता पैदा करता है। पालन–पोषण देखरेख के मॉडल दिशा निर्देश 2016 और आईसीपीएस के अंतर्गत यह अनिवार्य है कि उन संवेदनशील बच्चों की पहचान

की जाये जिन्हे माता–पिता का समर्थन नहीं है। इन बच्चों को बाल अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार पालन–पोषण देखरेख के अंतर्गत रखा जाना चाहिए जिसे नियमों के प्ररूप 31 के आधार पर बनाया जाता है।

अन्य प्रक्रियाओं के साथ अनुपालना: अन्य सभी प्रक्रियाएं जैसे बाल अध्ययन रिपोर्ट का बनाना, बच्चे को पालन देखरेख के लिए पहचानना और उसकी संस्तुति करना, पोषक परिवारों की पहचान, भावी पोषक परिवारों की गृह अध्ययन रिपोर्ट की तैयारी, बच्चों का मेल करना उन्हें पालन–पोषण देखरेख में रखना और पलायन माता पिता द्वारा दायित्व लेना आदि के साथ पहले दिए हुए भाग के विवरणों के अनुसार की जाती है।

पालन–पोषण देखरेख करने वालों/माता पिता द्वारा देखरेख: यह उन बच्चों पर लागू होता है जिन्हें तुरंत देखरेख की जरुरत होती है। सुविधा के पोषक परिवार जो ऐसे बच्चे की स्वयं देखरेख करना चाहते हैं। सीडब्ल्यूसी के समक्ष एक आवेदन देते हैं। सीडब्ल्यूसी निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार उचित जांच करने के बाद मामले का अनुमोदन 60 दिनों के अंतर्गत कर सकता है।

ikyu&ik"k.k n[kjs[k e j[ku l lEcf/kr e[; igy

जब बच्चे को संस्था से हटाया जा रहा हो तो उसे परामर्श देना: परामर्श देने का उद्देश्य है कि बच्चे को नए माहौल के लिए तैयार करना ताकि वहां उसे अधिक तनाव न हो। परामर्श देने की भूमिका उन बच्चों के लिए विशेष जरूरी है, जिनके जन्म देने वाले माता–पिता या तो जेल में हैं या लम्बे समय से अस्पताल में हैं। ऐसे बच्चों को पूरा अवसर दिया जाना चाहिए कि वह अपने जन्म देने वाले माता पिता के साथ संपर्क बनायें। परामर्श देने से बच्चा पूर्ण रूप से देखरेख करने वाले परिवार के साथ समन्वय बना पता है।

सुविधा में देखरेख करने वालों को परामर्श देना: इसका उद्देश्य है कि देखरेख करने वाले अपना दायित्व निभा सकें। परामर्श बच्चे को जन्म देने वाले माता–पिता को भी दी जानी चाहिए जो सुविधा में रह रहे हो सकते हैं।

बच्चे और जन्म देने वाले माता–पिता को परामर्श: इसका उद्देश्य है बच्चों को अपने जन्म देने वाले माता पिता के साथ मेल कराना। पालन–पोषण देखरेख के मॉडल दिशा निर्देश 2016 इसकी संस्तुति करता है ताकि बच्चे को पारिवारिक माहौल में बड़े होने का अधिकार मिले।

वित्तीय सहायता: कम से कम 2000 रुपये की आर्थिक सहायता देखरेख करने वाले परिवार को दी जा सकती है, उनके आवेदन डालने पर प्रत्येक वच्चे के लिए यह सुविधागत देखरेख के लिए भी है।

पालक देखरेख की रक्षा: पालन–पोषण देखरेख के मॉडल दिशा निर्देश 2016 में कुछ सुरक्षा उपाय शामिल हैं, जैसा कि नीचे बताया गया है, जो पालक देखरेख के तहत बच्चों की नियुक्ति की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करते हैं।

- एक बार में एक पोषक परिवार के पास 2 से अधिक बच्चे नहीं रखे जायेंगे
- यह संख्या 4 बच्चो से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिनमें पोषक परिवार के अपने बच्चे भी शामिल हैं
- संख्या 8 बच्चो से अधिक नहीं होनी चाहिए जिनमें सामूहिक देखरेख के अपने बच्चे शामिल हैं और एक इकाई में देखरेख करने वालों का एक समूह होना चाहिए। विशेष परिस्तिथियों में बदलाव हो सकता है
- ऊपर दिए गए अभयपत्रों में चाहे जो हो, भाई–बहन के मामलों में अपवाद हो सकते हैं, जिन्हें जहाँ तक संभव हो एक ही सुविधा में रखा जाना चाहिए
- यदि तार्किक हो और जरुरत हो पालन–पोषण देखरेख की अनुमति जन्म देने वाले माता–पिता से ली जानी चाहिए
- यदि एक परिवार में विशेष जरुरत वाला बच्चा है तो उस परिवार में दूसरे विशेष जरुरत वाले बच्चे को नहीं रखना चाहिए। उन्हें ऐसी सुविधा में रखना चाहिए जहाँ विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए सुविधाएँ हों
- पोषक परिवारों की सामाजिक परिवेश ऐसा होना चाहिए जो बच्चे के सामाजिक परिवेश से मेल खाता हो

मुख्य बातें: बच्चों को पालन–पोषण देखरेख में रखने के लिए लम्बी–चौड़ी प्रक्रियाओं के आलावा, बच्चों को पालन–पोषण देखरेख में रखने के लिए परामर्श देने, वित्तीय समर्थन और अभयपत्रों के प्रावधान हैं।

निगारानी, समीक्षा और समाप्ति

निगारानी, समीक्षा और समाप्ति संस्थाओं की मुख्य गतिविधियां हैं जो पालन–पोषण देखरेख के कार्यक्रम को संचालित करती हैं। नीचे दिए गए भाग में इन गतिविधियों के मुख्य पहलू हैं।

ikyu&ik"k.k n[kj[k e j[ku dh leh{kk

डीसीपीयू और सीडब्ल्यूसी बच्चे को पालन–पोषण देखरेख में रखने की समीक्षा समय–समय पर करते हैं –या तो प्रत्यक्ष रूप से या सीसीआई से या सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से जिससे या तो देखरेख की अवधि बढ़ती है या समाप्त होती है। जबकि डीसीपीयू देखरेख में प्रत्येक बच्चे का विवरण रखता है, सीडब्ल्यूसी पोषक परिवारों में मासिक जांच करता है। जांच के सभी आंकड़ों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा जाना चाहिए। जेजे नियम 2016 और पालन–पोषण देखरेख के मॉडल दिशा निर्देश 2016 में निर्धारित प्ररूप और समीक्षा के साधन हैं जिनके बारे में अगले अध्याय में दिया गया है।

cPp d fodkl dk /;ku j[kuk

पालक बच्चे के विकास के बारे में ध्यान रखने की जिम्मेदारी सीडब्ल्यूसी या एनजीओ या डीसीपीयू द्वारा पहचाने गए सामाजिक कार्यकर्ता की होती है, या तो डीसीपीयू का कोई प्रतिनिधि या एनजीओ या सामाजिक कार्यकर्ता पहले 5 महीने में प्रत्येक पोषक परिवार को हफ्ते में कम से कम एक बार मिलता है, और इसके बाद 6 महीनों महीने में एक बार, हर महीने इसके बाद, उसके बाद साल में दो बार जब तक पालन–पोषण देखरेख पूरी नहीं होती।

बच्चे के विकास का ध्यान रखने में अन्य बातें भी जुड़ी हैं जैसा नीचे नोट किया गया है:

- प्रत्येक बच्चे के लिए निजी केस फाइल का बनना और उसका रख–रखाव
- पहले तीन महीनों में स्कूल में प्रत्येक महीने मिलने जाना, फिर एक साल तक तीन महीनों में एक बार फिर 6 महीनों में एक बार जब तक देखरेख पूरी नहीं हो जाती
- स्कूल के उपस्तिथि प्रमाणपत्र या रिपोर्ट कार्ड लेना
- बच्चे की भलाई और उसके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेना, और परिवार के बारे में
- बच्चे के विकास पर आधारित पालन–पोषण देखरेख को बढ़ाने या समाप्त करने की संस्तुति

Mhlhih }kjk tk fooj.k j[ku gkr g%

डीसीपीयू को नीचे दिए गए भौतिक और कम्प्यूटरीकृत विवरण रखने होते हैं:

1- एक विशेष रजिस्टर जिसमें पूरी और अलग–अलग तस्वीर है

   क. पालन बच्चे के विवरण

      i. बच्चे, पोषक माता–पिता/देखरेख करने वाले जन्म देने वाले माता–पिता की तस्वीरें, देखरेख में रखते समय बच्चे की उम्र, (यदि उपलब्ध है तो उसका जन्म–प्रमाणपत्र). तस्वीरों को हर साल खिंचवाना चाहिए

ii. लिंग

iii. माता–पिता है या नही या किस रूप में है

iv. बच्चे का आधार कार्ड नंबर

ख. देखरेख में रखने के विवरण

i. व्यक्तिगत या सामूहिक

ii. सीडब्ल्यूसी आदेशों के अनुसार देखरेख में रखने की तिथि

iii. सीडब्ल्यूसी आदेशों के अनुसार देखरेख में रखने की अवधि

iv. अवधि बढ़ाने या समाप्त करने के कारण और तिथि

ग. प्रायोजन और पालन–पोषण देखरेख अनुमोदन समिति की रिपोर्ट की अनुसार पालन–पोषण देखरेख के विववरण जिनमें शामिल है वित्तीय समर्थन के कारण

2. प्रत्येक पालन बच्चे की व्यक्तिगत केस फाइल में शामिल होगा यह सबः

i. बच्चे की सन्दर्भ का श्रोत

ii. जन्म देने वाले माता पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट, तस्वीरों की साथ

iii. पोषक परिवार की तस्वीर के साथ गृह अध्ययन रिपोर्ट

iv. पोषक परिवार से बच्चे की मेल की रिपोर्ट

v. सीएसआर

vi. व्यक्तिगत देखरेख की योजना

vii. सीडब्ल्यूसी का पद पर नियुक्ति आदेश

viii. विवरण (जिसमें शामिल है नंबर और जरूरी विवरण)

ix. बच्चे के नियुक्ति के बारे में क्या सोच, राय और सुझाव हैं उसका विवरण

x. नियुक्ति की सभी समीक्षाओं का विवरण जिसमें शामिल है देखरेख योजना के साथ की गयी अनुपालना की सीमायें, बच्चे के विकास के मील के पत्थर और उसका शैक्षिक विकास, और यदि परिवार में कोई बदलाव हैं

xi. यदि समाप्ति होती है तो उसकी तिथि और कारण

ikyu&ik"k.k n[kj[k dh lekfIr

पालन–पोषण देखरेख की समाप्ति सीडब्ल्यूसी, एसएफसीएसी और डीसीपीयू की रिपोर्ट्स के आधार पर की जाती है। सीडब्ल्यूसी लिखित में एक नोटिस पोषक परिवारों को भेजता है और समाप्ति से पहले उनकी राय जानता है। सीडब्ल्यूसी के आदेश में यह आदेश भी होता है कि बच्चे को दूसरे उचित पोषक परिवार में रखा जाये या सीसीआई या अन्य सुविधा में।

जिन आधार पर समाप्ति की जा सकती है, वह हैंः

- बच्चे का 18 वर्ष का हो जाना[5],
- जन्म देने वाले माता–पिता का होना (जैसे जेल से रिहाई या मानसिक अवस्था में सुधार होना) और उनका आवेदन की बच्चा उन्हें वापस दिया जाये

[5]पालन–पोषण देखरेख के बाद बच्चे के पास विकल्प है की वह पालन–पोषण देखरेख कार्यक्रम की सेवाएं ले सके, बच्चे और पालन माता या पिता का मिला–जुला बैंक खाता बच्चे के नाम हस्तांतरित कर दिया जायेगा।

- पालक बच्चे की नियुक्ति के लिए सिफारिश पर, जो दत्तकग्रहण के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र है और छह वर्ष से ऊपर है, दत्तकग्रहण में (बच्चे की सहमति आवश्यक है)
- बच्चे, रिश्तेदारों या समुदाय से शिकायतें पाने पर या जब डीसीपीयू परिवार में जाता है और देखता है कि:
  - बच्चे ने स्कूल जाना बंद कर दिया है और उसकी उपस्तिथि 75% से कम है, विशेष परिस्तिथि जैसे आयोग्यता या बीमारी के आलावा
  - पोषक परिवार में बच्चे का शारीरिक, भावनात्मक या यौन शोषण
  - लेबर कानूनों के विरुद्ध बच्चे से काम कराना
  - पालन–पोषण देखरेख के वित्तीय समर्थन का गलत प्रयोग
  - पालन–पोषण देखरेख करने वालों की अयोग्यता की वह बच्चे की सामाजिक, भावनात्मक और विकास की जरूरतें पूरी कर पाए
  - सुविधा के पालन देख भाल करने वाले अब इतने स्वस्थ नहीं रहे कि वह पर्याप्त रूप से बच्चे की सामाजिक, भावनात्मक और विकास की जरूरतें पूरी कर पाएं
  - बच्चा सुविधा में अपनेआप को समन्वित नहीं कर पा रहा और उसे विशेष सहायता की जरुरत है, जैसे कोई लत छुड़ाने के लिए सहायता
  - पालन माता–पिता की मृत्यु, तलाक या अलगाव जिससे देखरेख में रूकावट आ रही है

मुख्य बातें: पालन बच्चे के विकास की निगारानी और उसकी समाप्ति इसलिए है ताकि पालन–पोषण देखरेख का स्तर बना रहे और बच्चों की बेहतरी की सुरक्षा हो सके।

[5]एक और पोषक परिवार या उपयुक्त सुविधा में नियुक्ति के लिए सीडब्ल्यूसी द्वारा आगे के आदेश तक बच्चे को सीसीआई में वापस भेजा जाता है।

निर्धारित प्रारूप, साधन और सामग्री

पालन–पोषण देखरेख 2016 के दिशानिर्देशों में अलग अलग गतिविधियां करने के और पालन–पोषण देखरेख के प्रशासन के लिए जरूरी विवरण प्राप्त करने के अनेक प्रारूप हैं। नीचे दिए गए तलिका में निर्धारित प्रारूप के नाम और संक्षिप्त नोट हैं:

पालन–पोषण देखरेख 2016 के दिशा निर्देशों के निर्धारित प्रारूप

अनुलग्न	प्रारूप का नाम	व्याख्यात्मक नोट यदि जरूरी है तो
अनुलग्नक क	आवेदन प्रारूप	डीसीपीयू या उसके द्वारा अनुमित अधिकरण द्वारा दिए गए इश्तिहार के उत्तर में पालन देख भाल करने वाले माता पिता द्वारा प्रस्तुत होना होता है
अनुलग्नक ख	पालन–पोषण देखरेख का आंकलन	इसकी जरुरत है भावी पालन–पोषण देखरेख करने वाले माता–पिता के आवेदनों का आंकलन करने के लिए
अनुलग्नक ग–1	पालन–पोषण देखरेख में रखने से पहले बच्चे को परामर्श देना	बच्चे के साथ प्रत्येक परामर्श के सेशन के दौरान भरना होता है
अनुलग्नक–ग–2	पालन बच्चे/देखरेख करने वालों के लिए परामर्श का प्रारूप पालन–पोषण देखरेख में रखना	बच्चे के साथ प्रत्येक परामर्श के सेशन के दौरान भरना होता है
अनुलग्नक–ग–3	पालन बच्चे के जन्म देने वाले माता–पिता के लिए परामर्श का प्रारूप	बच्चे के जन्म देने वाले माता पिता के पास जब भी जाओ तो इसे भरना होता है
अनुलग्नक–ग–4	पालन माता–पिता और पालन बच्चे के मेल–जोल के लिए परामर्श का प्रारूप/देखरेख करने वालों के	मेल जोल की प्रक्रिया द्वारा निरंतर भरा जाना है और एक कवर व्याख्या पत्र के साथ सीडब्ल्यूसी को प्रस्तुत करना
अनुलग्नक घ–1	निगरानी करने का साधन (जिले में देखरेख के कार्यक्रम के लिए)	एक प्रति राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी को देकर महीने की समीक्षा रिपोर्ट को सीडब्ल्यूसी को प्रस्तुत करनी होती है
अनुलग्नक घ–2	निगरानी करने का साधन	यह बच्चों की शिकायतों की जांच से निपटती है
अनुलग्नक ड़–1	शिकायत का प्रारूप	शिकायत डीसीपीओ के अध्यक्ष, सदस्य को की जा सकती है और जिला प्रशासन के सम्बंधित विभाग को
अनुलग्नक ड़–2	जांच का प्रारूप	-
अनुलग्नक च	केस जांच का प्रारूप	-

Contd...

अनुलग्न	प्रारूप का नाम	व्याख्यात्मक नोट यदि जरूरी है तो
अनुलग्नक छ	व्यक्तिगत देखरेख सामग्री	व्यक्तिगत देखरेख सामग्री के 4 भाग होते हैं, जैसा नीचे रिपोर्ट किया गया है: • एक देखरेख करने वाले की चुनौतियॉं • देखरेख के लिए सहायक बातें • एक पालन–पोषण देखरेख माता या पिता होने के लाभ ऊपर दी गयी व्यक्तिगत देखरेख सामग्री भावी पालन कर्ताओं के लिए पोस्टर और अन्य इश्तिहार बनाने के लिए प्रयोग की जा सकती है

यह नोट करना जरूरी है कि **जेजे नियम 2016** में प्रारूप भी हैं जो विभिन्न पालन के नियमों के कार्यान्वन के लिए जरूरी हैं। यह प्रारूप भी पालन–पोषण देखरेख के मॉडल दिशा निर्देश 2016 का भाग है, नीचे दिए गए तालिका में विवरण हैं:

पालन–पोषण देखरेख प्रशासन के जेजे 2016 के नियमों में दिए गए प्रारूप

प्रारूप नंबर	शीर्षक	सम्बंधित नियम
प्रारूप नंबर–30	भावी पालन माता पिता के लिए गृह अध्ययन रिपोर्ट	नियम 23(9)
प्रारूप नंबर–31	बाल अध्ययन रिपोर्ट	नियम 23(4)
प्रारूप नंबर–32	एक परिवार या सामूहिक पालन में बच्चे को रखने का आदेश	नियम 23(15)
प्रारूप नंबर–33	पोषक परिवार/सामूहिक पालन–पोषण देखरेख द्वारा दायित्व	नियम 23(16)
प्रारूप नंबर–34	पालन–पोषण देखरेख में बच्चे की रिपोर्ट	नियम 23(17)
प्रारूप नंबर–35	पोषक परिवारों/सामूहिक पालन–पोषण देखरेख की मासिक जांच	नियम 23(18)

मुख्य बातः ऊपर दिए गए प्रारूप, साधन और सामग्री पालन–पोषण देखरेख के प्रशासन और प्रोत्साहन के लिए आवश्यक हैं।

भारत और कुछ चुने हुए देशों में पालन–पोषण देखरेख

Hkkjr e ikyu&ik"k.k n[kj[k

भारत में पालन–पोषण देखरेख का इतिहास सन 1964 तक जाता है। जब केंद्रीय सामाजिक परोपकार बोर्ड ने एक शुरुआती योजना शुरू की अपने परिवार और बाल परोपकार की योजना के अंतर्गत। इसके बाद, महाराष्ट्र सरकार ने 1972 में बच्चों के लिए एक गैर–संस्थागत देखरेख की योजना शुरू की जिसे बाद में बाल संगोपन योजना –गैर संस्थागत सेवाओं का नाम दिया गया। कर्नाटक सरकार ने 1996 में एक पालन–पोषण देखरेख की योजना शुरू की थी ताकि परिवार और सामूहिक देखरेख के माध्यम से बच्चों को संस्थाओं से हटाया जा सके। गुजरात में 2001 के भूकंप के बाद एक आपातकालीन देखरेख की योजना शुरू की गयी जिससे करीब 350 बच्चों का उनके रिश्तेदारों और समुदाय के लोगों के साथ पुनर्वास किया गया।

इन उदाहरणों के आलावा, बहुत कम भारतीय राज्य हैं जिन्होंने प्रभावी पालन–पोषण देखरेख के कार्यक्रम शुरू किये हैं। इसलिए पालन–पोषण देखरेख अभी अपने बालपन में है। 2016 में पालन–पोषण देखरेख के मॉडल दिशा निर्देश के प्रभाव में आने से जेजे अधिनियम 2015 और अन्य कानूनी और नीति के प्रावधान जो संस्थागत देखरेख को आखरी विकल्प मानते हैं, अब देश में पालन–पोषण देखरेख को वेग मिलने की उम्मीद है।

dN pqu gq, n’kk e ikyu&ik"k.k n[kj[k

यूनिटेड किंगडम: यहाँ पर 8 प्रकार की पालन–पोषण देखरेख है, जैसा नीचे बताया गया है:

- **आपातकालीन:** उन बच्चों पर लागू जिन्हें कुछ रातों के लिए रहने का सुरक्षित स्थान चाहिए
- **अल्प–अवधि:** बच्चों की कुछ हफ्तों या महीनों के लिए देखरेख की जाती है जब तक उनके भविष्य की योजना नहीं बन जाती
- **अल्प अवधि के अंतराल:** बच्चे जिनकी विशेष जरूरतें होती हैं उन्हें थोड़े समय के लिए पालन–पोषण देखरेख चाहिए होती है ताकि उनके माता–पिता को कुछ समय मिल पाए
- **रिमांड:** विशेष रूप से प्रशिक्षित पालनकर्ता न्यायिक रिमांड के बाद बच्चों की देखरेख करता है
- **दत्तकग्रहण के लिए पालन–पोषण देखरेख:** जब बच्चे या दूध–पीते बच्चे गोद लिए जाने से पहले पालन करने वालों के साथ रहते हैं
- **दीर्घ–अवधि:** बच्चे जो अपने जन्म देने वाले माता–पिता से अलग रहना चाहते हैं और गोद नहीं लिए जाना चाहते, दीर्घ–अवधि की पालक देखरेख में चले जाते हैं जब तक वह वयस्क न हो जाएँ
- **परिवार और मित्र या रिश्तेदारी:** एक बच्चा जिसकी देखरेख स्थानीय न्यायलय द्वारा की जा रही है किसी जाने हुए व्यक्ति के साथ रहने जाता है–जो आमतौर पर परिवार का सदस्य होता है
- **विशेष उपचारात्मक:** उन बच्चों के लिए जिनकी जरूरतें और व्यव्हार बहुत जटिल होती/होता हैं

राष्ट्रिय सांख्यिकी के अनुसार देश में 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 के बीच 85,890 बच्चे पालन देखरेख में थे, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 2% की बढ़त है[7]।

यूएसए: यूएसए में राज्यों के लिए पालन देखरेख के लिए अलग अलग लाइसेंस चाहियें होते हैं, जो अधिकांश रूप से प्रत्येक राज्य के चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज या ह्यूमन सर्विसेज के नियंत्रण में होते हैं। लेकिन, राज्यों की सेवाएं स्वास्थ्य और मानव सेवाओं के संयुक्त विभाग द्वारा देखी जाती हैं। आम तौर पर लाइसेंस की जरूरतों में अन्य बातों के आलावा आय का प्रमाणीकरण, आपराधिक विवरण की जाँच (स्थानीय, राज्य और संयुक्त स्तर पर) परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य विवरण की जांच और नियोजक से एक सन्दर्भ पत्र शामिल है।

यूएसए में 30 सितम्बर 2014 तक 4,15,129 बच्चे पालन देखरेख में थे, जो 2013 के आंकड़ों से अधिक है (यानि 400989)[8]

जापान: जापान में बच्चों की देखरेख की प्रणाली का मुख्य केंद्र संस्थागत देखरेख है, क्यूंकि 85% बच्चे अलग अलग संस्थाओं में रहते हैं। 2012 में पालन देखरेख या अर्ध पालन देखरेख में केवल 5407 बच्चे थे, जो वैकल्पिक देखरेख के अंतर्गत बच्चों का 14.8% है[9]। हालाँकि स्वास्थ्य, लेबर और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2011 में प्रण लिया कि पालन देखरेख के अंतर्गत करीब 30% बच्चे रखे जायेंगे, जापान में संस्थागत देखरेख ही प्रमुख प्रणाली है।

दक्षिण अफ्रीका: दक्षिण अफ्रीका में पालन देखरेख की प्रणाली लम्बी–चौड़ी है, एक बच्चा जो 18 वर्ष से कम का है वेज पालन देखरेख के लिए योग्य है यदि वह त्यागा हुआ या अनाथ है या उसका व्यवहार असाधारण है, वह सडकों पर रहता है, या भीख मांगता है, नशे का आदी है या उसकी परिस्तिथियाँ ठीक नहीं हैं और वह अपने माता–पिता/देखरेख करने वालों के साथ रहते हुए खतरे में है। पालन–कर्ता को 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए, तंदुरुस्त और वह बच्चा रखने योग्य होना चाहिए और उसे बच्चे का विकास सुनिष्चित कर पाना चाहिए। पालन देखरेख से सम्बंधित मुद्दे सामाजिक विभाग द्वारा निपटे जाते हैं।

2012 में दक्षिण अफ्रीका में 0–4 वर्ष के करीब 5.3 मिलियन बच्चे थे जो देश की कुल जन–संख्या का 10.1% है। उस वर्ष जितने बच्चे पालन देखरेख में रखे गए उनमें से 0.3% बहुत छोटे थे, 0.5% 1–2 वर्ष के बीच थे और 0.7% 3–4 वर्ष के बीच,[10] 2015 में उन बच्चों की संख्या जिन्हें पालन अनुदान मिला वह 4,99,774 थी।

श्री लंका: 26 वर्ष के असैनिक युद्ध के कारण और 2004 की सुनामी के कारण श्री लंका में हजारों बच्चे बेघर और अनाथ हो गए हैं। जबकि करीब 20,000 अनाथ और शोषित बच्चों को देश के 470 बच्चों की देखरेख की संस्थाओं में रखा गया है, सरकार पालन देखरेख पर जोर दे रही है[11]। वर्तमान में पालन देखरेख को सरकार की 'सेवन सरना फोस्टर पेरेंट्स स्कीम' के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है, महिला और बाल कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत।

मुख्य बात: जबकि यूएसए, यूके और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों ने अच्छा पालन देखरेख प्रणाली बना ली है, जापान, श्री लंका और भारत में यह प्रणाली सीमित रूप से प्रयोग की जाती है।

[7]Retrieved from https://www.gov.uk/government/collections/childrens-social-care-statistics#fostering
[8]Foster Care Statistics 2014: Numbers and Trends (March 2016). Retrieved from https://www.childwelfare.gov/pubPDFs/foster.pdf#page=3&view=Children in, entering, and exiting care
[9]Retrieved from http://www.japantimes.co.jp/news/2014/08/07/national/foster-parent-shortage-takes-growing-toll-children/#.V44Se1R97IV
[10]Retrieved from http://www.statssa.gov.za/wp-content/uploads/2015/03/Mbalo_Brief_March_2015.pdf
[11]http://www.bbc.com/news/world-south-asia-14857783

संन्दर्भ सूची

Foster Family, Renewed Hope and a New Life: A Study on the Practice of Foster Care for Children in India (Bangalore: National Research and Documentation Centre, BOSCO MANE). Available at http://www.bettercarenetwork.nl/content/17382/download/clnt/47613_foster_care_research_PDF.pdf

Foster Care in India: Policy Brief (Bangalore: Centre for Law and Policy Research, 2014). Available at http://www.bettercarenetwork.org/sites/default/files/attachments/Foster% 20Care%20in%20India%20Policy%20Brief.pdf

Integrated Child Protection Scheme (ICPS), 2014

Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015

Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Model Rules, 2016

Model Guidelines for Foster Care, 2016

National Policy for Children, 2013

http://www.csmonitor.com/The-Culture/Family/Modern-Parenthood/2014/0127/Foster-care-takes-root-in-India.-How-does-it-differ-from-adoption

http://www.dnaindia.com/analysis/standpoint-creating-a-system-of-foster-care-in-india-2124301

http://faithtoaction.org/2016/03/foster-care-india-redefining-indias-continuum-of-care/

http://timesofindia.indiatimes.com/city/goa/Vatsalya-Foster-care-scheme/articleshow/ 21113740.cms

http://www.bettercarenetwork.nl/content/17382/download/clnt/47613_foster_care_research_PDF.pdf

https://www.gov.uk/government/collections/childrens-social-care-statistics#fostering

https://www.childwelfare.gov/pubPDFs/foster.pdf#page=3&view=Children in, entering, and exiting care

http://www.japantimes.co.jp/news/2014/08/07/national/foster-parent-shortage-takes-growing-toll-children/#.V44Se1R97IV

http://www.statssa.gov.za/wp-content/uploads/2015/03/Mbalo_Brief_March_2015.pdf

http://www.bbc.com/news/world-south-asia-14857783

UN Declaration on Social and Legal Principles relating to the Protection and Welfare of Children, with Special Reference to Foster Placement and Adoption Nationally and Internationally, 1986

UN Convention on Rights of the Child, 1989

UN Guidelines for the Alternative Care of Children (UNGACC), 2009

विश्व ने अब तक जितने भी न्यास स्थापित किये हैं, उनमें से कोई भी उतना पवित्र नही है जितना की बच्चों के साथ किया गया भरोसा। इससे बढ़कर कोई कर्तव्य नहीं है कि ये सुनिष्चत करना की उनके अधिकारों का सम्मान हो, उनके कल्याण की रक्षा हो, और उनके जीवन भय और अभाव मुक्त हों और ये कि वे शंति में बड़े हों।

– कोफी अन्नान

mn;u d;j
16/97–ए, विक्रम विहार, लाजपत नगर–4, नई दिल्ली–110024
फोनः +91–11–46548105/06
ई–मेलः advocacy@udayancare.org
वेबसाइटः www.udayancare.org